

प्रेस- विज्ञप्ति

थाना सरायमीर, आजमगढ़

हत्या के प्रयास में नामजद वाछिंत 01 अभियुक्त गिरफ्तार तथा घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद ।

आज दिनांक 09.03.2023 को उ०नि० अजीज खान थाना सरायमीर आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु०अ०सं० 62/23 धारा 307/504 भादवि से सम्बन्धित वाछिंत अभियुक्त रविन्द्र कनौजिया पुत्र बनवारी कनौजिया सा० कटघर जलाल थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ को चकिया चौराहे के पास से समय करीब 11.50 बजे गिरफ्तार कर व उसके निशानदेही घटना मे प्रयुक्त चाकू बरामद कर चालान मा० न्यायालय किया जा रहा है ।

अभियुक्त उपरोक्त अपने भाई विनय कुमार पर होली के दिन चाकू से पेट व हाथ पर कई बार वार किये गये थे । जिसमे मजरूब विनय कुमार की स्थिति काफी गंभीर थी जिसे पुलिस व मजरूब के पत्नी श्रीमति पूनम कनौजिया द्वारा ताहिर अस्पताल फूलपुर मे एडमीट कराया तथा डाक्टर द्वारा ब्लड की जरूरत हेतु बताया गया । जिसपर पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा तत्काल संज्ञान में लेते हुए आदेश थानाध्यक्ष सरायमीर के निर्देशन में थाना स्थानीय पर नियुक्त हे०का० विपिन कुमार सिंह द्वारा ब्लड डोनेट किया गया जिससे मजरूब की हालत में सुधार है ।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु०अ०सं० 62/23 धारा 307/504 भादवि थाना सरायमीर आजमगढ़ ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. रविन्द्र कनौजिया पुत्र बनवारी कनौजिया सा० कटघर जलाल थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।

आपराधिक इतिहास:- मुकदमा उपरोक्तगिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० अजीज खान थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़
2. का० चन्दन कुमार थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।

थाना अतरौलियाथाने का हिस्ट्रीशीटर अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार

दिनांक 09.03.23 को उ०नि० प्रभात चन्द पाठक मय हमराह सिकन्दपुर चौरहा पर मौजूद थे कि चेकिंग के दौरान अवैध गांजा लेकर तेजापुर पुलिया के अभियुक्त वैजनाथ पुत्र खदेरू कहार उम्र लगभग 65 वर्ष निवासी लोहरा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ को समय 9.50 बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार मा० न्यायालय/जेल भेजा जा रहा है। अभियुक्त के विरुद्ध 01 दर्जन से अधिक मुकदमें दर्ज है ।

पंजीकृत अभियोग- 1. मु०अ०सं० 66.23 धारा 8/20 NDPS Act थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़गिरफ्तार अभियुक्त- 1. वैजनाथ पुत्र खदेरू कहार निवासी लोहरा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़पूर्व का आपराधिक इतिहास- HS (3B) थाना अतरौलिया

1. मु०अ०सं० 96/2000 धारा 379/411 IPC थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़
2. मु०अ०सं० 185/199 धारा 379/411 IPC थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकरनगर
3. मु०अ०सं० 79/1994 धारा 323/506 IPC व 3(1) SC/ST Act थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़
4. मु०अ०सं० 135/2000 धारा 3(1) उ०प्र० गैगैस्टर एक्ट थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़
5. मु०अ०सं० 12/2000 धारा 379/411 IPC थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़
6. मु०अ०सं० Nil/2001 धारा 41/411 थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़
8. मु०अ०सं० 152/2001 धारा 8/20 NDPS Act थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़
9. मु०अ०सं० 446/2010 धारा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़
10. मु०अ०सं० 01/2019 धारा 60 Ex Act थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़
11. मु०अ०सं० 19/2022 धारा 8/20 NDPS Act थाना बसखारी जनपद अम्बेडकरनगर
12. मु०अ०सं० 299/22 धारा 8/20 NDPS Act थाना अतरौलिया आजमगढ़

बरामदगी – 1 किलो 100 ग्रा० गांजा नाजायजगिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

1. उ०नि० प्रभात चन्द पाठक
2. हे०का० श्यामवीर सिंह,
3. हे०का० अविनाश विश्वकर्मा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़